



432/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 28/76/एक/2018-19

दिनांक : 07 जनवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बलिया।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बचन बैंक	50180019558083	BDBL0001285	224.649

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में दिवाकर राय के घर से राजेश तिवारी व मकसुदन पाण्डेय के घर तक कलर इण्टरलॉकिंग कार्य।	21.148	100%
2	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 11 में विजय मिश्रा के मकान से अन्नपूर्णा गुप्ता के मकान होते हुए बैजू पासवान के मकान तक पेवर्स इण्टरलॉकिंग का कार्य।	6.166	100%
3	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 11 में अन्नपूर्णा गुप्ता के मकान से शिवनाथ गौड़ के मकान तक पेवर्स इण्टरलॉकिंग का कार्य।	2.046	100%
4	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 09 में बुढ़ा मौर्या के मकान से बड़ा नाला होते हुए सुचित के मकान तक पेवर्स इण्टरलॉकिंग का कार्य।	1.966	100%
5	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 09 में परमात्मा मौर्या के मकान से धनश्याम मौर्या के मकान तक पेवर्स इण्टरलॉकिंग का कार्य।	2.153	100%
6	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 07 में हरपुर कोईरी टोला में रमाशंकर वर्मा के घर से बुढ़िया माई के स्थान होते हुए लखपतिथा के घर से यादव प्रधान के घर तक एवं प्रसाद जी के घर से चौबे जी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	19.689	100%



432/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
7	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 15 में श्यामा दुबे के घर से प्रमोद सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	26.655	100%
8	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 13 में ओम प्रकाश चौबे के घर से कमलेश सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.057	100%
9	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 01 में श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कॉलेज से पड़ित राम के मकान होते हुए महेन्द्र मेन रोड तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	5.031	50%
10	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 6 में फजील भाई के ट्यूबवेल से अरविन्द के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	3.265	50%
11	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 06 में दीपक इलेक्ट्रानिक के प्लाट से कालिका के मकान होते हुए सुग्गन के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	6.522	50%
12	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 6 में राजनरायन सिंह के मकान से प्रदीप के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	2.287	50%
13	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 06 में रमावती के मकान से शम्भू के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	4.075	50%
14	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 09 में राबिया खातुन के मकान से टिपू के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	0.979	50%
15	बलिया	मु०अ०-37	न०प० बेल्थरा रोड	वार्ड नं० 13 में पशुहारी मेन रोड से सोनू राजभर के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित का निर्माण कार्य।	15.614	50%
16	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में रामनाथ गुप्ता के घर से प्रभु गुप्ता के घर होते हुए विवेक सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.596	50%
17	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में एम०पी० गुप्ता के घर से राजेन्द्र तिवारी के घर होते हुए छोटे लाल गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.088	50%
18	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में कृष्ण मोहन पाण्डेय के हाता से रामआशीष प्रजापति के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.871	50%
19	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में केशव मिश्रा के हाता से संतोष चौबे के घर होते हुए विनय मिश्रा एवं रामनरेश सिंह एवं राजदेव तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	4.662	50%

✓



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनामार्फत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
20	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में शिवदत्त पाण्डेय के घर से सच्चिदानन्द खरवार के घर होते हुए सीताराम पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	4.818	50%
21	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 05 में अलख ठाकुर के घर से अनिल गुप्ता के घर होते हुए निर्भय उपाध्याय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	5.223	50%
22	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 13 के मो० टैगोर नगर में अमरजीत गुप्ता के घर से संजय वर्मा के घर तक एवं भोला चौबे के घर होते हुए बालेश्वर सिंह के घर तक एवं केदार शुक्ला के घर से बच्चा पाण्डेय के घर तक सड़क का उच्चीकरण कर इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण एवं आर०सी०सी० ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य।	21.971	50%
23	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 17 में मुजूर कटरा के पीछे से अग्रवाल धर्मशाला के पीछे वाली गली में पेवर्स व नाली निर्माण कार्य।	4.306	50%
24	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 03 में दलीत बस्ती में बसंत राम के मकान से रियाज के मकान तक नाली व पेवर्स ब्लाक का कार्य।	0.454	50%
25	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 03 के दलित बस्ती में काजीपुरा में साहू के मकान से सुकठ के मकान तक नाली व पेवर्स ब्लाक का निर्माण कार्य।	1.753	50%
26	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 03 में दलीत बस्ती गिरिजा के मकान व विनय राम के घर होते हुए विजय राम के मकान तक नाली व पेवर्स ब्लाक का कार्य।	0.516	50%
27	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 01 मलिन बस्ती अम्बेडकरनगर मेन गेट से सुशीला हरिद्वार के घर से बचलू व श्री कृष्ण के मकान तक सड़क सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	3.114	50%
28	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 01 मलिन बस्ती राम जन्म के मकान से विजय के आवास तक सड़क सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	3.261	50%
29	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 01 मलिन बस्ती अम्बेडकरनगर में शान्ती देवी के मकान से प्रदीप के मकान तक नाली निर्माण व पेवर्स का कार्य।	5.774	50%
30	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 22 सतनी में छोटे लाल वर्मा से आशुतोष शुक्ला के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.623	50%
31	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०प० बलिया	वार्ड नं० 14 राजपूत नेवरी मलिन बस्ती में फूलमान के घर से अक्षयवर लोहार के घर तक नाली एवं पेवर्स का कार्य।	5.921	50%



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
32	बलिया	मु०अ०-37	न०पा०५० बलिया	वार्ड नं० 14 राजपूत नेवरी मलिन बस्ती में मोहन चौरसिया के घर के पास से कुआं से रामदास नगर के घर तक नाली एवं पेवर्स का कार्य।	6.045	50%
	योग				224.649	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि जूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



432/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक